न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मवा/शंकर बनाम छोटान

प्र.नं.– 196/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19.09.2023	दफा — पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 19/09/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
196 / 2016	2016 / 0243	03.08.2016	19.09.2023

उनवान प्रकरण

भवानीशंकर पुत्र मुंशीराम आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी इन्द्राजीवाली तन ग्राम हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी—

बनाम्

1. कौतान मृत्तक की बजाय:—

1 / 1 मंगली पुत्री मोहरू

1 / 2 ऑची देवी पुत्री मोहरू

रामरत जाति माली निवासी ग्राम हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एडवो. वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम हारापुर पटवार हल्का हारापुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित होकर उक्त भूमि के 6/7 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 व सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू के नाम अंकित चली आ रही है। खातेदार सुन्दरी एव सुरजी दोनों का देहान्त हो चुका है। जिनके एकमात्र वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 है। उक्त 6/7 हिस्से की भूमि पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियों के 6/7 हिस्से की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी हक अधिकार से गलत एंव गफलत व लापरवाही करते हुए प्रतिवादी नम्बर 1 व सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू के नाम दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त 6/7 हिस्से की भूमि पर सदैव से वादी व इसके बूजुर्गान काबिज काश्तकार रहे है। वादी के बुजुर्गान की मृत्यु के पश्चात् वादी अकेला ही उक्त 6/7 हिस्से की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त 6/7 हिस्से की भूमि की खातेदारी मे वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादी सरकारी सुविधाओं से महरूम हो रहा है। राजस्व रिकार्ड मे सहवन से प्रतिवादी नम्बर 1 व सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू के नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। जिसकी वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर लगातार वादी व इसके बुजुर्गान काबिज काश्त रहे है। उक्त भूमि पर वादी व इसके बुजुर्गान के अलावा अन्य किसी का कब्जा नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर वादी व इनके बुजुर्गान के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा नही रहा है बल्कि उक्त भूमि पर वादी व इनके बुजुर्गान के स्वामित्व नियंत्रण अधिकार में रही है जिस पर वर्तमान मे वादी काबिज काश्त है एंव वादी ने मकान बना कर आवास कर रहा है एव विद्युत कनेक्शन ले रखा है। इसलिए भी वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

19/08/23

जाना न्यायोचित है। वादी ने समय समय पर उक्त भूमि को अपनी स्वयं की मेहनत व लाखो रूपए लगाकर उन्नत एवं उपजाऊ बनाया है। भूमि को समतल करवाया है। वादी उक्त भूमि पर वक्त पूर्वजों के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम नहीं होने के कारण वादी को सख्त हकतल्फी होने से वादी सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, के0सी0सी0 से वंचित हो रहा है एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है। जिससे वादी के विधिक हक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। अगर गलत खातेदारी की आड मे वादी को बेदखल कर दिया तो वादी बरबाद हो जावेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्ध एंव मनमानी कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदारी अपने नाम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 पहले से आश्वासन देता रहा और अब भूमियो की बेतहाशा बढती कीमतें देखकर प्रतिवादी सं. 1 के मन मे बेईमानी पैदा हो जाने पर 10 रोज पूर्व खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने पर वादकारण पैदा होकर वाद करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन करते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.03 हैक्टर तन ग्राम हांसापुर तहसील श्रीमाधोपुर का वादी को 6/7 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 एंव मृतक सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजाफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष [illegible] रहा है।

इस पर [illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील इन्कारी [illegible] वरपान्दगी व प्रतिवादी संख्या 2 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

19/09/23

वादी के मुख्य परीक्षण मे वादी भवानीशंकर व वादी साक्ष्य गवाहान मे बसन्ती लाल पुत्र फूलचन्द माली व मुकेश कुमार पुत्र धन्नाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने वादपत्र मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर समौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2069-2072 जमाबन्दी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि0 का विद्युत बिल, परिवार राशन कार्ड, नरेगा श्रमिक कार्ड, पंचायत मतदाता सूचि 2004, सरपंच, ग्राम पंचायत हासंपुर, तीन फोटोग्राफ्स, ईकरारनामा दिनांकित 10.02.2018 की प्रति, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों के 6/7 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एंव सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना जमाबन्दी से प्रकट होता है। जिसमें सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू का देहान्त होना तथा उनके एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 का होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के 6/7 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहरू के द्वारा करीब 35 वर्ष पूर्व मुंशीराम पुत्र मुल्लाराम जाति माली निवासी ढाणी इन्द्राजीवाली तन् हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर को बेचान किया जाना एंव बिक्रित राशि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के द्वारा प्राप्त कर लिया जाकर मौके पर मुंशीराम को गुवाडी का कब्जा सम्भलाया जाना ईकरारनामा में अंकित किया गया है। उक्त गुवाडी में मुंशीराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसके वारिसान के द्वारा पक्की चार दिवारी एंव आठ कमरे पुख्ता बनाकर मय परविार रिहायश कर विद्युत विभाग से मुंशीराम की प[illegible] कनेक्शन लिया जाना दस्तावेजात् से प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त [illegible] की पैत्रक भूमि होना प्रकट नहीं होती है। उक्त भूमि वादी [illegible] 1 के पिता से लगभग 35-40 वर्षो पूर्व जरिये इकरारनामा से क्रय किया [illegible]र वादी का अपने परिवार सहित मौके पर काबिज होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा किये जाने हेतु उक्त प्रस्तुत वादपत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] शपथपत्र की वादी साक्ष्य में पेश वादी भवानीशंकर पुत्र [illegible] व साक्षी [illegible] [illegible] में बसन्ती लाल पुत्र फूलचन्द माली व मुकेश कुमार पुत्र [illegible] के द्वारा [illegible] शपथ पत्रों से वादी का मौके पर कब्जा होना प्रकट होता है। प्रकरण में [illegible] हल्का हासपुर से रिपोर्ट ली जाने पर पटवारी हल्का हासपुर व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी [illegible] पुत्र मोहरु वगै0 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा मौके पर उक्त भूमि में तीन पुख्ता आवासीय मकान बने हुये होना तथा उक्त तीनों पुख्ता आवासीय मकानात् को नजरी नक्शे में बिन्दू ए–भवानीशंकर का मकान, बिन्दू बी– ग्यारसीलाल का मकान व बिन्दू सी– बसन्ती देवी का मकान दोनों तरफ आम रास्ते पर होना अपनी जाँच रिपोर्ट में अंकित किया है। जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर तीन पुख्ता मकानात् बना होना नजरी नकशा से स्पष्टतः प्रकट होता है। वादी द्वारा अपने पिता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से जरिये ईकरारनामा कय किये गये भूमि के खातेदारी अधिकारों की नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को मध्य नजर रखते हुए घोषणा किये जाने के लिए वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों के आधार पर उक्त भूमि का नियमानुसार मूल्याकंन किया जाकर मूल्यांकित राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

अतः उपर्युक्त [illegible] वाद बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरुस्ती [illegible] शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि वादी उक्त [illegible] 1166 रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर के 6/7 हिस्से [illegible] आने वाली भूमि का वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों के आधार पर उक्त भूमि का तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नियमानुसार मूल्याकंन किया जाकर मूल्यांकित राशि वादी द्वारा राजकोष में जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

12/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(श्रीमाधोपुर)

फरमाई जाती है तो वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाकै ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 6/7 हिस्से का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक सुन्दरी बेवा मोहरू, सुरजी बेवा मोहरू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण मे राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:17 IST
Reason: SelfAttested

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)